

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2006-07/ 534

दि 15-6-06

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय:- सत्र 2006-07 में नवीन महिला महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई
अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सत्र 2006-07 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिए अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	स्पोसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय
1	2	3	5
1.	अलंकार सोसायटी फॉर हायर एजुकेशन, कटारिया कृषि फार्म, बिशनावाला, सिरसी रोड, जयपुर- 302012	अलंकार महिला महाविद्यालय, बिशनावाला, सिरसी रोड, जयपुर- 302012	कला संकाय - में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान संकाय - में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाह्न की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (236/127) आकाशि/अनु/2006/1974

दि 9 जून, 2009

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापदित प्रमाण-पत्र निर्मांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	236	अंलकार महिला महाविद्यालय	कटारिया कृषि फार्म, सिरसी रोड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय तथा नवीन विषय एम.ए. -हिन्दी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल एम.एस.सी.- बोटनी, कैंपेस्ट्री, जूलोजी, बी.बी.ए.

- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्ध प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान य भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समग्र-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न महाविद्यालयों को बी.बी.आई. के निगमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरितका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, ~~जयपुर~~।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. सचिव, सम्बंधित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

(डा० एस० सी० तापडिया)
संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (नये द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारियों होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है।
16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा।
17. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
18. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगे।

भवदीय,
(दामोदर शर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा० मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

15/6/08
संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://ite.rajasthan.gov.in/dept/dec/>
e-mail: jspi.ecs@gmail.com Ph.: 0141-2766736 (O):

क्रमांक: एफ-4 (12) आकाशि/नि.स./2006/923

दिनांक: 01-10-2020

संशोधन आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक: एफ-4 (12) निकाशि/नि.स./2006/795 दिनांक- 04.08.2020 के द्वारा अलंकार सोसायटी फॉर हायर एजुकेशन, कटारिया एग्रीकॉम, सिरसी रोड, जयपुर द्वारा संचालित अलंकार महिला पी.जी. महाविद्यालय, कटारिया एग्रीकॉम, सिरसी रोड, जयपुर को स्थायी अनाधिति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त आदेश में स्नातकोत्तर स्तर कला संकाय में लिखित 'व्यावसायिक प्रशासन' के स्थान पर स्नातकोत्तर स्तर वाणिज्य संकाय में 'व्यावसायिक प्रशासन' पढ़ा जाये।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: एफ-4 (12) आकाशि/नि.स./2006/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विसिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित फ़ाइल।

संयुक्त-निदेशक (नि०स०)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर



क्रमांक: एफ4 (12)निकाशि/नि.सं./2006/795

दिनांक: 4.8.2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधीन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
अलंकार सोसायटी फॉर हायर एजुकेशन, कटारिया एप्रीफार्म, सिरसी रोड, जयपुर।	अलंकार महिला पी.जी. महाविद्यालय, कटारिया एप्रीफार्म, सिरसी रोड, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर- कला संकाय- गणित, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सांख्यिकी। विज्ञान संकाय- मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी। स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में- चित्रकला, मनोविज्ञान, लोकप्रशासन, व्यावसायिक प्रशासन।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा माहा गया अभिलेख उपलब्ध करावेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करणना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
12. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर निदेशालय को भेजेगी।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

[Signature]
निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

[Signature]



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिदा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://ite.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.dce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एड4 (25)निकासि/नि.सं./2006/416

दिनांक:- 27-6-22

अनिष्ट

राजस्थान में सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1988 तथा वास्तव्य नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 में स्नातक-स्तर पर नवीन विधाय संज्ञक में स्थाई अनार्षित प्रमाण-पत्र विम्वलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संशोधक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक-विश्वविद्यालय	नदीन संकाय व विषय
अलकाश शास्त्राचार्य पी.पी.जी. महिला महाविद्यालय, कटासिया एडीफाईम, सिरसी राह, जयपुर।	अलकाश महिला पी.पी.जी. महाविद्यालय, कटासिया एडीफाईम, सिरसी राह, जयपुर।	संजयरायन विश्वविद्यालय, जयपुर।	रसायनिक कपड़ों पर- कला संकाय- GPEM एवं TEXTILE

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के SOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा महा विद्यालय को अविलंब उपलब्ध करावेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कोलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित प्राप्ति करेगी तथा विश्व महाविद्यालय से प्रत्यक्ष में कोलेजआइड से मायथा व विश्वविद्यालय से संबंधित पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। सापेक्षता हो विश्वविद्यालय से प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा संविधि जमा धरति (एकत्रीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में वर्गीकृतन करवाना जमा अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अकापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राचार्य एवं कार्यगतताओं तथा निर्धारित मानदन्धानुसार अध्यापिक स्टाफ की नियुक्ति क साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कार्य विचार्य महाकता नहीं वेगी।
10. संस्था साक्षात् प्र विपयधर सौदा का आवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्ति कर, आयुक्तालय कोलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तन्नुसार संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाता सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार को महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नोटी 2021-22 तथा डाय में जारी दोन सार्वी नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aitshe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्ट्रर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपडेटेड प्रमाण पत्र की जारी करेगी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर संस्था को अकापन प्रमाण-पत्र को प्रत्यक्षरित कर दिया जायेगा।

आरुपुत
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विरिण्ट साहायक, ग्राम जयवि विद्या मंत्री महादय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जय विद्या विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय, कोलेज विद्या राजस्थान, जयपुर।
4. विद्या कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. साक्षिकी शाला, आयुक्तालय, कोलेज विद्या, राजस्थान, जयपुर।
8. रविल पत्रावती

संयुक्त निदेशक(गि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर